संख्या- 26/936/बयालिस-2016-09(निर्माण)/2014

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 25 मई, 2016**

विषय :- सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0-1270/नि0सैफई क्रिकेट पत्रा0/2015-16, दिनांक : 29 दिसम्बर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-59/1868/बयालिस-2015-09(निर्माण)/2014, दिनांक 13 अगस्त, 2015 के द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 26030.21 लाख के क्रम में शासनादेश संख्या- 135/बयालिस-2016-09(निर्माण)/2014टी0सी0, दिनांक 20 जनवरी, 2016, शासनादेश संख्या- 612/बयालिस-2016-09(निर्माण)/2014टी0सी0, दिनांक 29 मार्च, 2016, शासनादेश संख्या- 757/बयालिस-2016-09(निर्माण)/2014टी0सी0, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 एवं अवस्थापना विकास निधि से रू0 1500.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 16373.25 लाख निर्गत कर दिया गया है। निदेशक, खेल द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त आकलित लागत रू0 34656.96 लाख (रू0 तीन अरब छियालिस करोड़ छप्पन लाख छियानबे हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- प्रायोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2)- परियोजना का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

.....2

(3)- प्रायोजना में प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप कराये जाने हेतु विभिन्न कार्य मदों की विशिष्ट प्रकृति के प्रयोग की आवश्यकता एवं औचित्य का उल्लेख करते हुए इन कार्यमदों की लागत दरें लोक निर्माण विभाग के स्थान पर डी0एस0आर0 पर प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(4)- प्रायोजना में फर्नीचर, पी0ए0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं ई0पी0बी0एक्स0 हेतु एक समिति गठित किये जाने की अपेक्षा की गयी, जो इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य एवं लागत का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। समिति द्वारा फर्नीचर हेतु प्रस्तावित लागत रू0 1106.94 लाख, पी0ए0 सिस्टम हेतु रू0 142.29 लाख, सी0सी0टी0वी0 हेतु रू0 179.16 लाख, कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं ई0पी0बी0एक्स0 हेतु रू0 103.26 लाख अर्थात उक्त कार्यमदों हेतु प्रस्तावित कुल लागत रू0 1531.65 लाख के सापेक्ष न्यूनतम 15 प्रतिशत दरों में कमी करते हुए कुल रू0 1300.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत जो लागत संस्तुत करेगी, प्रायोजना की लागत उस सीमा तक संशोधित मानी जायेगी। प्रायोजना की बढ़ी हुयी लागत हेतु प्रायोजना को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(5)- प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीड बैक की प्रति व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जाये।

(6)- प्रदेश में स्थापित होने वाले विभिन्न प्रकार के स्टेडियमों एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुलों के मेन्टीनेन्स एवं रख-रखाव हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर एक नीति बनायी जाय, जिससे प्रदेश में निर्मित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सृजित परिसम्पत्तियों का मेन्टीनेन्स/रख-रखाव ठीक ढंग से हो सके, जिसका दीर्घाकालिक लाभ प्रदेश के खिलाडियों को प्राप्त हो सकें।

(7)- प्रायोजना प्रस्ताव आगणन में प्रस्तावित कार्य वृहद एवं विशिष्ट प्रकृति के होने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रस्तावित किये गये है। अत: प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु इस खेल से सम्बन्धित विशेषज्ञों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय। इसके अतिरिक्त क्रिकेट स्टेडियम की प्लानिंग एवं निर्माण के पर्यवेक्षण के लिए एक समिति का गठन किया जाय। जिसमें इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल से एक प्रतिनिधि, बोर्ड आफ कन्ट्रोल फार क्रिकेट इन इण्डिया से सम्बन्धित एक प्रतिनिधि, राष्ट्रीय स्तर के एक क्रिकेट कोच भी सदस्य हो। इस समिति का दायित्व होगा कि प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य की गुणवत्ता तथा ड्राइंग व डिजाइन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।

....3

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)- प्रायोजना प्रस्ताव में फील्ड प्ले के ड्रेनेज हेतु रू0 522.00 लाख की धनराशि का एकमुश्त प्राविधान किया गया है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व इसका जनपद के अनुसूची दर पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया जाय तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये जाने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(9)- प्रायोजनान्तर्गत ट्रान्सफार्मर, डी0जी0 सेट, एयरकन्डीशनिंग सिस्टम, पी0ए0 सिस्टम, डिस्प्ले बोर्ड, यू0पी0एस0 सिस्टम, सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, लिफ्ट, ई0पी0ए0बी0एक्स0 सिस्टम, कम्प्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम आदि की स्थापना हेतु प्रयुक्त दरों को प्रभाग स्तर पर इन्डीकेटिव से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एंव स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(10)- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एंव कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(11)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(13)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(14)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(15)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(16)- प्रायोजनान्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा अवशेष धनराशि की स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वयं निर्गत किया जायेगा।

(17)- प्रायोजना पर आने वाला व्यय अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-91-सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-524/दस-2016, दिनांक : 20 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 26/936(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई (इटावा)।
(7)- प्रधानाचार्य, सैफई स्पोर्टस कालेज, सैफई।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in